सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2013/218** दायर दिनांक **04.10.2013**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मुस्ताक अली खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, जाति—कायमखानी, उम्र—37साल, निवासी—छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, जरिये आम मुख्त्यार अस्तअली खाँ पुत्र मल्लूखाँ, जाति—कायमखानी, उम्र—72साल, निवासी—छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, हाल,मुकाम—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. अस्तअलीखाँ पुत्र मल्लूखाँ, जाति—कायमखानी, उम्र—72साल, निवासी—छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, हाल,मुकाम—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, स्वयं एवं बहैसियत प्रतिनिधि ग्राम—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सुमेरदानसिंह पुत्र रामदयाल, जाति—चारण, उम्र—64साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, हटवाने अतिक्रमण व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. वादी अस्तअली खाँ उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **29.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, मौलासर की काँकड़ में स्थित खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 24.04 बीघा की खातेदारी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2013 / 218
दायर दिनांक 04.10.2013, निर्णय दिनांक 29.06.2017
मुस्ताक अली खाँ, वगैरा बनाम् सुमेरदानसिंह, वगैरा।

खसरा नम्बर 510 रकबा 24.04 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्से व बन्ट की भूमि रकबा 16.03 बीघा में से रकबा 06 बीघा भूमि को दिनांक 21.04.1994 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण विक्रय कर दी थी। तब से उक्त भूमि पर वादी नम्बर 01 का कब्जाकाश्त निर्विवाद रूप से मौके पर चला आ रहा है तथा वर्षात होने पर फसल बाजरी, मूंग, ग्वार ली गयी है।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी की खरीद सुदा भूमि पर एवं रास्ते की भूमि जो मौलासर से रसीदपुरा जाने की मुरड़िया सड़क मौके पर बह रही है, पर जबदरस्ती अतिक्रमण कर पत्थरों की दिवार का निर्माण शुरू कर दिया है जिसका विरोध करने पर भी दिवार का निर्माण रोकने में बाज नहीं आ रहे है, जिसको संलग्न नजरीनक्शा में मार्क ए बी सी एवं डी ई एफ में दर्शाया गया है। मार्क ए बी सी दिवार करीब 05 फिट ऊँची मौके पर बना दी गयी है तथा मार्क डी ई एफ दिवार की नींवें भरी जा चुकी है।

मार्क ए बी सी एवं मार्क डी ई एफ दिवार का निर्माण प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी संख्या 01 की खरीद सुदा भूमि रकबा 06 बीघा खसरा नम्बर 510 की जो मौलासर से रसीदपुरा जाने वाली कट्टाणी रास्ता / मुरड़िया सड़क की भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर बनाई गयी जा रही है। इस कारण वादीगण को उपर्युक्त दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना लाजमी आया है।

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य हो रखा है जिसका बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा करवाया जाकर वादी संख्या 01 अपनी खातेदारी अलग से घोषित करवाना चाहते है।

खसरा नम्बर 510 रकबा 24.04 बीघा में से रकबा 16 / 484 बिस्वा भूमि स्वरूपकँवर पत्नी मनोहरसिंह से खरीद कर रखी थी जिस पर वादी नम्बर 02 का मौके पर कब्जाकाश्त है तथा मौके पर मौखिक बन्टवारा कर रखा है, का बन्टवारा भी वादी नम्बर 02 व प्रतिवादी संख्या 01 से कानूनी रूप से बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर वादी नम्बर 02 की खरीद सुदा भूमि की खातेदारी उसके नाम अलग से घोषित की जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को मना करने के बावजूद भी माह सितम्बर 2013 में मार्क ए बी सी एवं डी ई एफ दिवार का निर्माण जारी रखने से तथा वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण करने के कारण, खातेदारी शामिल होने से के सी सी वगैरा लेने में परेशानी होने के कारण वादीगण द्वारा नकल ट्रेश नक्शा / मोमिन नक्शा नकल लेने पर दिनांक 30.09.2013 को तमाम तथ्यों की जानकारी होने से उपर्युक्त दावा बमुकाम छोटी बेरी में पैदा हुआ और लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

वाद वर्णितानुसार शरहद मौलासर में खेत खसरा नम्बर 510 में से वादी नम्बर 01 की खरीद सुदा भूमि 06 बीघा एवं प्रतिवादीगण की भूमि खरीद सुदा 16 / 484 भूमि का बन्टवारा प्रतिवादी नम्बर 01 के बीच कानूनी रूप से बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर वादीगण की खातेदारी अलग–अलग घोषित की जावे। स्वरूपकँवर पत्नी मनोहरसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे।

वादग्रस्त भूमि का नाप–चौक व सीमाज्ञान करवाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण की खरीद सुदा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2013/218
दायर दिनांक 04.10.2013, निर्णय दिनांक 29.06.2017
मुस्ताक अली खाँ, वगैरा बनाम् सुमेरदानसिंह, वगैरा।

हटवाया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के साथ दस्तावेजात्, जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 तक की खेवट संख्या 354/317 खसरा नम्बर 510 की प्रतिलिपि, आंशिक नकल गत सर्वेशीट सन् 1961 की छायाप्रति, जनरल पावर ऑफ अटर्नी पी0बी0 नम्बर 62952 दिनांक 18.04.2012 की छायाप्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा मौलासर सम्वत् 2022 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र क्रम संख्या 424/94 दिनांक 21.04.1994 की छायाप्रति पेश है।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। वादी अस्त अली खाँ उपस्थित होकर वाद को डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। प्रकरण में मजमे आम में जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने व मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में ली गयी जानकारी के पश्चात् हमारे मत में वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पक्षकारान् को अवगत कराया जाना न्योचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौलासर में खसरा नम्बर 510 रकबा 24.04 बीघा का सीमाज्ञान कर, पक्षकारान् को अवगत कराने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेरीखुर्द

निर्णय आज दिनांक **29.06.2017** को कोर्ट कैम्प–बेरीखुर्द में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेरीखुर्द

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/218

दायर दिनांक 04.10.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मुस्ताक अली खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, जाति–कायमखानी, उम्र–37साल, निवासी–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये आम मुख्त्यार अस्तअली खाँ पुत्र मल्लूखाँ, जाति–कायमखानी, उम्र–72साल, निवासी–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, हाल,मुकाम–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. अस्तअलीखाँ पुत्र मल्लूखाँ, जाति–कायमखानी, उम्र–72साल, निवासी–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, हाल,मुकाम–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, स्वयं एवं बहैसियत प्रतिनिधि ग्राम–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुमेरदानसिंह पुत्र रामदयाल, जाति–चारण, उम्र–64साल, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, हटवाने अतिक्रमण व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 29.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी अस्तअली खाँ उपस्थित ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौलासर में खसरा नम्बर 510 रकबा 24.04 बीघा का सीमाज्ञान कर, पक्षकारान् को अवगत कराने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बेरीखुर्द

Scanned by CamScanner